भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 322**

दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

## उत्तर प्रदेश में 'स्वामित्व' योजना

322. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत मैपिंग सहित सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य पूरा हो चुका है:

(ख) उक्त क्षेत्रों में कितने प्रतिशत परिवारों में उक्त योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सभी भूखंडों और क्षेत्रों की शत-प्रतिशत मैपिंग प्राप्त करने के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण के परिणामों में विसंगतियों या त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों को हल करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

## उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) 13 जुलाई 2026 को, उत्तर प्रदेश के सभी अधिसूचित 90573 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और राज्य के लगभग 67 हजार गांवों में 1.01 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) 13 जुलाई, 2026 तक, उत्तर प्रदेश के लगभग 75 हजार गांवों को शामिल करते हुए लगभग 1.20 करोड़ रुपये के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जो राज्य में अधिसूचित गांवों का लगभग 83% है। स्वामित्व योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों और संपत्तियों के सटीक मानचित्रण और सीमांकन के लिए सतत संचालित संदर्भ स्टेशन (CORS) तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना है। इस योजना में संपत्ति कार्ड जारी करने से पहले सक्षम राज्य प्राधिकरणों द्वारा जमीनी सत्यापन और आपत्तियों/विवादों का समाधान शामिल है, जिससे पारदर्शिता और संपत्तियों का सही सीमांकन सुनिश्चित किया जा सके।

*****